"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, गुरुवार दिनांक 6 सितम्बर 2012—भाद्र 15, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-13/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1069.—दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग. के 7 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-13/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. उत्तरा कुमार यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
2. श्रीमति गौरी साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
3. पुष्पा वैष्णव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
4. मीना सूर्यवंशी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
5. रीता कोशले, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
6. वीणापाणि पासवान, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.
7. सरिता शुक्ला, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, तिफरा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 5 सितम्बर 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बिलासपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत तिफरा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत तिफरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला को कारण बताओ सूचना दिनांक 8 मार्च 2010 जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला को दिनांक 11 मार्च 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थीगण उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले तथा सरिता शुक्ला को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इस पर उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है माना जाकर तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान द्वारा आयोग में दिनांक 12 अप्रैल 2011 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वह नगर पंचायत तिफरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी थी जिसका खर्च का ब्यौरा निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर को प्रेषित किया था परन्तु निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना कहकर वापिस कर दिया. उन्हें निर्वाचन पूर्व कोई रजिस्टर नहीं दिया गया था. अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्वाचन व्यय लेखा का हिसाब निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 7 अप्रैल 2010 को दस्तावेज सहित भेज दिया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने ज्ञापन क्रमांक स्था./निर्वा./नपाआनि/व्ययलेखा/2010/167, दिनांक 1 जून 2012 द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस पर आयोग द्वारा उन्हें समक्ष सुनवाई हेतु सूचना जारी की गई. उक्त सूचना की प्राप्ति के उपरान्त भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रही. इस पर अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना मानकर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत तिफरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले तथा सरिता शुक्ला ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब प्रस्तुत किया. यद्यपि अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान ने आयोग को कारण बताओ सूचना के परिप्रेक्ष्य में जवाब एवं व्यय लेखा के हिसाब की प्रति प्रस्तुत किया है. लेकिन निर्वाचन व्यय लेखा के साथ संलग्न दस्तावेज एवं शपथपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान ने पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा तथा शपथपत्र दिनांक 5 अप्रैल 2010 को दाखिल किया है. उन्होंने पत्र दिनांक 26 जुलाई 2012 की कंडिका (2) में दस्तावेज के साथ व्यय लेखा दिनांक 7 अप्रैल 2010 को पेश करना भी स्वीकार किया है. अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि उन्हें लेखा-जोखा विवरण हेतु रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया था. लेकिन निर्वाचन अधिकारी के पत्र दिनांक 1 जून 2012 से इस बात की पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी की उक्त दलील सही नहीं है. वास्तव में अभ्यर्थी वीणापाणि पासवान ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है. अभ्यर्थी की दलील तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती. अभ्यर्थी को समक्ष सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया परन्तु अभ्यर्थी समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहीं. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहीं हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों उत्तरा कुमार यादव, श्रीमति गौरी साहू, पुष्पा वैष्णव, मीना सूर्यवंशी, रीता कोशले, वीणापाणि पासवान तथा सरिता शुक्ला को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष एवं छ: माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 5 सितम्बर 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.